प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण** थाना **ए.सी.बी, सी.पी.एस., जयपुर** वर्ष **2023**
   प्र.इ.रि.सं. 144/2023 दिनांक 08.06.2023

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें. 7
   (2) अधिनियम ....–............भा.द.स........–...............धारायें.............–.......................
   (3) अधिनियम ....–...............................धारायें..........................–....................
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये...–...

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या 144 समय 12:05 PM
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– 07.06.2023 समय – 10.09 ए.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 01.06.2023 समय 1.00 पी.एम.

4. सूचना किस्म :– टाईपशुदा

5. घटनास्थल :– ग्राम पंचायत गंगावास पंचायत समिति कल्याणपुर जिला बाडमेर
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा पश्चिम, करीब 70 कि0मी0
   (ब) पता :– ग्राम पंचायत गंगावास पंचायत समिति कल्याणपुर जिला बाडमेर ।
   ....बीट सख्या.................–...................जरायमदेही सं...–......
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....–.............................जिला..............–..........................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री शिवाराम
   (ब) पिता का नाम : श्री हरदानराम
   (स) जन्म तिथि : 33 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता,:– भारतीय
   (य) पासपोर्ट सख्या..................–..जारी होने की तिथि ...–..........
   जारी होने की जगह ....–...
   (र) व्यवसाय :– मजदुरी
   (ल) पता :– निवासी – निवासी हापानाडा ग्राम पंचायत रोडवा कला कल्याणपुर जिला बाडमेर

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. श्री गजाराम पुत्र श्री बुधरराम उम्र 42 वर्ष निवासी चुतरपुरा तहसील शेरगढ जोधपुर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर

8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण
   ....

9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)
   ....

10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य/रिश्वती राशि 50,000/– रूपये...

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मुत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)..

12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

सवामें,

श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय,
कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण (राज.)

विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने बाबत।

महोदय जी

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं शिवाराम S/o हरदानराम जाति जाट उम्र 33 साल निवासी हापानाडा ग्राम पंचायत रोडवा कला कल्याणपुर जिला बाडमेर की अर्ज इस प्रकार है कि मेरी पुस्तेनी जमीन हापानाडा कल्याणपुर बाडमेर में आई हुई है जो मेरे पिताजी हरदानराम के नाम से संयुक्त खातेदारी हैं। जिसकी तरमीन 2021 में मेने प्रशासन गांवो के संग अभियान में करवाई थी। तत्कालीन पटवारी गजाराम के द्वारा जो उस समय तरमीन की गई उसका नक्शा भरा गया वो सही था और उस तरमीन की गई भुमि के कागजात में फेरबदल कर दिया गया। व तीन महीने तक पटवारी गजाराम ने कागजात को तहसील में जमा नही करवाये। क्योंकि तरमीन के नाम पर उस समय गजाराम ने 50,000/–रू. मांगे थे। जो मेने नही दिये। उसके बाद गजाराम ने अपने आप ही तरमीन की गई भुमि के नक्शों में फेरबदल कर दिया जहां मेरा, मेरा भाई चन्दाराम, मेरे पिताजी हरदानराम व सुरजाराम व अन्य के मकान बने है। वहां पर सडक का कटान रास्ता बता दिया है । जो सेटेलाईट नक्शे में अलग –अलग दिख रहे है। वर्तमान में ग्रम पंचायत द्वारा बनाई गई ग्रेवल सडक जो आम जनता उपयोग में ले रहे है अब गजाराम को प्रमोशन होने पर वह RI पटवार मण्डल मण्डली में कार्यरत है हमारे हल्का पटवारी का पद वर्तमान में खाली है। जो कि धर्मेन्द्र गोदारा को हमारे हल्का पटवार का अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। मगर RI गजाराम पुरा कार्य स्वयं देख रहा है। गजाराम के द्वारा तरमीन किये गये नक्शे में जो गलत कटान रास्ता बनाया था। उसको सही करने के लिए गजाराम 5,00000/– रूपये मांग रहा है। जिसमें से गजाराम ने प्रथम 50,000/ रूपये देने का दबाव बना रहा है। गजाराम से मेरी कोई जाति, दुश्मनी नही है। गजाराम से मेरा कोई पैसे का लेन देन बकाया नही है। मैं अपने जायज काम के लिए गजाराम को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। रिपोर्ट पर उचित कानुनी कार्यवाही करावे। मै अपने आधार कार्ड व जमीन के नक्शे व अन्य कागजात की प्रतिलिपी पेश कर रहा हुं।

दिनांक 1/6/2023

शिवाराम
MO 8107253674
शिवाराम S/o हरदानराम
जाति जाट– ग्राम हापानाडा
ग्राम पं. रोडवा कला
पं. सं. कल्याणपुर (बाडमेर)

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 01.06.2023
वक्त 1.00पी.एम.

इस समय मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण के समक्ष कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर परिवादी श्री शिवाराम पुत्र श्री हरदानराम जाति जाट निवासी हापानाडा ग्राम पंचायत रोडवा कला कल्याणपुर जिला बाडमेर ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की व तकरीरन दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट मे लिखे तथ्य सही होना, स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं स्वयं के हस्त लिखित होना बताया साथ ही यह भी बताया कि मेरे गांव हापानाडा में मेरे पिताजी के नाम से संयुक्त खातेदारी की जमीन आई हुई है जिसकी तरमीन 2021 में मैने प्रशासन गांवो के संग अभियान में करवाई थी। तत्कालीन पटवारी श्री गजाराम के द्वारा जो उस समय मेरी जमीन की तरमीन की गई उसका नक्शा भरा गया वो सही था। श्री गजाराम ने अपने आप ही तरमीन की गई भूमि के नक्शों में फेरबदल कर हमारे परिवार के मकान बने हुए है वहां पर सडक का कटान रास्ता बना दिया है । श्री गजाराम का प्रमोशन होने पर वह RI मण्डली में कार्यरत है मेरा गांव भी RI मण्डली के अधीन ही आता है। हमारे हल्का पटवारी का पद वर्तमान में खाली है।

जो कि धर्मेन्द्र गोदारा को हमारे हल्का पटवार का अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। मगर RI गजाराम पुरा कार्य स्वयं देख रहा है। गजाराम के द्वारा तरमीन किये गये नक्शे में जो गलत कटान रास्ता बनाया था उसको सही करने के लिए श्री गजाराम 5,00000/– रूपये मांग रहा जो राशि किश्तो में देने के लिए कह रहा है। श्री गजाराम ने प्रथम किश्त के 50,000/ रूपये देने का दबाव बना रहा है। श्री गजाराम से मेरी कोई जाति, दुश्मनी नही है। गजाराम से मेरा कोई पैसे का लेन देन बकाया नही है। मैं अपने जायज काम के लिए गजाराम को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। रिपोर्ट पर उचित कानुनी कार्यवाही करावे। कानुनी कार्यवाही करावे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाकर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय जाकर वक्त 04.05 पी.एम. पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय मे उपस्थित श्री रामकिशोर कानि. 110 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कानि. श्री रामकिशोर कानि. से परिवादी श्री शिवाराम का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकालकर परिवादी श्री शिवाराम एवं श्री रामकिशोर कानि को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करना समझाईस की जाकर परिवादी व श्री रामकिशोर कानि के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया आज समय काफी हो चुका है अब हमारे वहॉ पहुँचने तक शाम हो जायेगी और आरआई श्री गजाराम नहीं मिलेगे। कल दिनांक 02.06.2023 को सुबह आप श्री रामकिशोर कानि. को ग्राम सरहद रोडवा खुर्द के लिए भेज देना। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई की कल दिनांक 02.06.2023 को सुबह आपको वक्त 7.00 एएम पर श्री रामकिशोर कानि. 110 ग्राम सरहद रोडवा खुर्द पर मिलेगे। ताबाद परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। वक्त 04.20 पी.एम. पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामकिशोर कानि. 110 को हिदायत दी गई की कल दिनांक 02.06.2023 को सुबह वक्त 6.00 एएम पर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मन निरीक्षक पुलिस से प्राप्त कर परिवादी श्री शिवाराम से ग्राम सरहद रोडवा खुर्द पर सम्पर्क कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 02.06.2023 वक्त 6.10 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर तथा उसके अन्दर मैमोरी कार्ड सहित श्री रामकिशोर कानि. 110 को सुपर्द कर परिवादी श्री शिवाराम से सम्पर्क कर परिवादी श्री शिवाराम व संग्दिध आरोपी श्री गजाराम भू–निरीक्षक मण्डली के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु कानि. श्री रामकिशोर को हिदायत कर कल्याणपुर की तरफ रवाना किया। वक्त 9.37 ए.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. ने जरिये मांबाईल फोन मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि मै कार्यालय से ग्राम सरहद रोडवा खुर्द के लिए बस से रवाना हुआ था। परिवादी श्री शिवाराम से वक्त 6.46 ए. एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 8107253674 पर सम्पर्क करने पर परिवादी ने बताया कि मैं आपको ग्राम ढांढणिया बस स्टैण्ड पर उपस्थित मिलूगां जिस पर मैं ग्राम ढांढणिया बस स्टैण्ड पहुँचा तो परिवादी श्री शिवाराम उपस्थित मिला जिस पर परीवादी की निजी मोटसाईकिल से हम दोनों रवाना होकर ग्राम सरहद रोडवा खुर्द में परीवादी की निजी दुकानों पर पहुँचे। तत्पश्चात परीवादी ने अपने मोबाईल फोन से श्री गजाराम आर.आई. को फोन कर वार्ता की तो श्री गजाराम आर.आई. ने बताया कि मैं थोडी देर में आपकी दुकानों पर ही आ रहा हुँ। जिस पर संग्दिध आरोपी श्री गजाराम आर.आई. के आने का ईन्तजार किया गया। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति परीवादी श्री शिवाराम की दुकान की तरफ मोटरसाईकिल से आता हुआ दिखा जिस पर परीवादी ने मेरे को बताया कि यह मोटरसाईकिल पर आ रहा आदमी श्री गजाराम आर.आई. है। जिस पर मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर अपने पास से निकाल कर चालु कर परीवादी श्री शिवाराम को सुपर्द कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए दुकान की सिढियां से दुकान की छत पर चला गया। कुछ समय पश्चात संग्दिध आरोपी श्री गजाराम आर.आई. के चले जाने के पश्चात परीवादी श्री शिवाराम मेरे पास दुकानों की छत पर आया जिस पर मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परीवादी श्री शिवाराम ने मेरे को बताया कि मेरी ओर श्री गजाराम आर.आई. की मेरे कार्य से सम्बधित वार्ता हो गई है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामकिशोर को डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की। वक्त 12.40 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया एवं मन् निरीक्षक पुलिस को स्विच ऑफ सुदा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपर्द किया। रिकार्डर प्राप्त कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। आईन्दा रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुनने का निर्णय लिया गया। वक्त 12.50 पी.एम. पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परीवादी श्री शिवाराम एवं संग्दिध आरोपी गजाराम आर.आई. के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनने हेतु उक्त रिकार्डर को ऑन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परीवादी व संग्दिध आरोपी के मध्य रिश्वति राशि मांग से सम्बधित स्पष्ट वार्ता नहीं होना पाई जाने से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट नही बनाने का निर्णय लिया जाकर उच्चाधिकारियों से हालात निवेदन कर आईन्दा पुनः रिश्वति राशि का मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया तथा परीवादी का भी अवगत करवाया गया कि आज आपके व संग्दिध आरोपी श्री गजाराम आर.आई. के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन की वार्ता स्पष्ट नहीं

है इस सम्बध में आपको संग्दिध आरोपी श्री गजाराम आर.आई. से पुनः वार्ता करनी होगी। जिस पर परीवादी ने बताया कि कल और परसो श्री गजाराम आर.आई कहीं बाहर जा सकते इसलिए वार्ता होना सम्भव नहीं है। जिस पर परीवादी को हिदायत दी गई कि आईन्दा आपसे इस बाबत सम्पर्क किया जावेगा तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता रखी जावे।

दिनांक 04.06.2023 को वक्त 8.30 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि. श्री रामकिशोर 110 से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर हिदायत दी गई कि आप परीवादी श्री शिवाराम से सम्पर्क कर कल दिनांक 05.06.2023 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन का प्रयास करे। वक्त 8.55 पी.एम. पर कानि. श्री रामकिशोर 110 ने जरिये मोबाईल फोन मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि अभी–अभी मैंने मेरे मोबाईल फोन से परिवादी श्री शिवाराम के मोबाईल नम्बर 8107253674 पर सम्पर्क कर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आपको मैं कल दिनांक 05.06.2023 को सुबह ग्राम ढांढणियां बस स्टैण्ड पर मिल जाउंगा तथा श्री गजाराम आर. आई. भी कल मिल सकते है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामकिशोर कानि. को कल दिनांक 05.06.2023 को 8.00 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई।

दिनांक 05.06.2023 को वक्त 8.05 ए.एम पर श्री रामकिशोर कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर तथा उसके अन्दर मैमोरी कार्ड सहित श्री रामकिशोर कानि. 110 को सुपर्द कर परिवादी श्री शिवाराम से सम्पर्क कर परिवादी श्री शिवाराम व आरोपी श्री गजाराम आर.आई. के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु कानि. श्री रामकिशोर को हिदायत कर ग्राम ढांढणियां की तरफ रवाना किया। वक्त 1.46 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि 110 ने मन निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया कि कार्यालय से जरिये बस रवाना होकर ग्राम ढांढणियां बस स्टैण्ड पर परीवादी श्री शिवाराम उपस्थित मिला जिस पर परीवादी से सम्पर्क कर उसके साथ उसकी निजी मोटरसाईकिल से ग्राम रोडवा खुर्द परीवादी की निजी दुकान पर वक्त 11.00 एएम पर पहुँचे तथा परीवादी ने अपने स्तर पर श्री गजाराम आर.आई की उपस्थिति के बारे में मालुमात किया तो पता चला कि श्री गजाराम आर.आई अन्य कार्य में व्यस्त है अभी वार्ता नहीं हो सकती जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामकिशोर कानि. को हिदायत दी गई कि आप वहीं रूककर श्री गजाराम आर. आई. से वार्ता करने हेतु ईन्तजार किया जावे। वक्त 7.13 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि 110 को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये मोबाईल फोन कर वार्ता की तो श्री रामकिशोर कानि. ने अवगत करवाया कि मैं और परीवादी श्री शिवाराम आज पूरे दिन श्री गजाराम आर.आई. से सम्पर्क कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता का प्रयास किया गया परन्तु श्री गजाराम आर.आई. किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने से सम्पर्क नही हो पाया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामकिशोर कानि. को परीवादी के ग्राम रोडवा कला में ही रूककर कल दिनांक 06.06.2023 को परीवादी व संग्दिध आरोपी श्री गजाराम आर.आई. से सम्पर्क कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने का प्रयास करे तथा साथ ही पूर्ण रूप से गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई।

दिनांक 06.06.2023 को वक्त 9.42 ए.एम पर श्री रामकिशोर कानि 110 ने मन निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन कर वार्ता कर बताया कि परीवादी ने आज सुबह अपने स्तर पर श्री गजाराम आर.आई. की उपस्थिति के बारे में पता किया तो पता चला कि श्री गजाराम आर.आई. ग्राम गंगावास के राजीव गांधी सेवा केन्द्र में ही रहता है तथा वहां पर ही मिलेगें। जिस पर मै व परीवादी श्री शिवाराम उसकी निजी मोटरसाईकिल से रवाना होकर ग्राम गंगावास में स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र से थोडा पहले रूककर डिजिटल वाईस रिकार्डर चालु कर आवश्यक हिदायत कर परीवादी श्री शिवाराम को सुपर्द कर राजीव गांधी सेवा केन्द्र गंगावास के लिए रवाना किया। मैं वहां पर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परीवादी श्री शिवाराम के आने के ईन्तजार में खडा रहा। कुछ समय पश्चात परीवादी श्री शिवाराम मेरे पास उपस्थित आया जिस पर मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर अपने पास लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा इसी दौरान परीवादी ने मेरे को बताया कि मेरे व श्री गजाराम आर.आई. ने मेरी जमीन की तरमीम एवं नक्शा दुबारा तैयार करने की एवज में प्रथम किस्त पचास हजार रूपये की मांग की है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामकिशोर कानि. को डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर कार्यालय पहुँचे तथा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामकिशोर कानि. के मोबाईल फोन से ही परिवादी श्री शिवाराम से वार्ता कर कल दिनांक 07.07.2023 को आरोपी श्री गजाराम को रिश्वती मे दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर सुबह 6.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। वक्त 1.50 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि 110 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड स्विच ऑफ सुदा सुपुर्द कर उपरोक्त फिगरा अनुसार हालात निवेदन किये। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु कर परीवादी श्री शिवाराम एवं संग्दिध आरोपी श्री गजाराम आर.आई. के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो संग्दिध आरोपी श्री गजाराम आर.आई. द्वारा परीवादी से रिश्वति राशि की मांग करना पाया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया एवं उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय

लिया गया। वक्त 3.00 पी.एम. पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग झालामण्ड जोधपुर के नाम दो स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध करवाने बाबत पत्र प्रेषित कर श्री संजय कानि. नम्बर 587 को सुपुर्द कर रवाना किया गया जो वक्त 4.00 पी.एम. पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने श्री संजय कानि. नम्बर 587 को जरिये मोबाईल फोन सुचित किया कि गवाहान के उपलब्ध होने पर उक्त दोनों गवाहान को कल दिनांक 07.06.2023 को वक्त 6.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर कार्यालय पर उपस्थित आवे।

दिनांक 06.06.2023 को वक्त 5.00 पी.एम. पर श्री संजय कानि. नम्बर 587 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया व अवगत करवाया कि सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग झालामण्ड जोधपुर द्वारा श्री सुनील भादु वरिष्ठ सहायक एवं श्री नरेन्द्रसिह पम्प चालक को गोपनीय कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाये गये थे जिनको आपके निर्देशानुसार कल दिनांक 07.06.2023 को वक्त 6.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किये जा चुके है। ट्रेप कार्यवाही मे अन्य वाहन की आवश्यकता होने से मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री संजय कानि. को हिदायत दी गई कि आप श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर के कार्यालय से सरकारी वाहन टवेरा लेकर कल दिनांक 07.06.2023 को वक्त 6.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित आवें।

दिनांक 07.06.2023 को वक्त 6.20 ए..एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह कार्यालय पर उपस्थित आये। जिस पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना दोनो गवाहान को परिचय दिया जाकर उनका बारी--बारी से परिचय पुछने पर श्री सुनील भादू पुत्र श्री चोलाराम भादू जाति जाट उम्र 34 साल पैशा नौकरी निवासी प्लाट नम्बर 06, प्रेम नगर डिग्गाडी कला पुलिस थाना बनाड जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग नगर उप खण्ड झालामण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर 8233348137 एवं श्री नरेन्द्रसिह पुत्र श्री हनुमानसिह जाति राजपूत उम्र 50 साल पैशा नौकरी निवासी प्लाट नम्बर 02 बी.जे.एस. कॉलोनी पुलिस थाना महामंदिर जिला जोधपुर हाल पम्प चालक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग नगर उप खण्ड झालामण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर 9391675720 होना बताया। तत्पश्चात वक्त 6.40 ए.एम. तक पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री शिवाराम में उपस्थित आया व बताया कि मै श्री गजाराम आरआई को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 50,000/-- रुपये साथ लेकर आया हुं। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय मे उपस्थित उक्त दोनो गवाहान व परिवादी श्री शिवाराम का आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री शिवाराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकालकर चालु कर उसमें परिवादी श्री शिवाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री गजाराम आरआई के मध्य हुई कल दिनांक 06.06.2023 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे परिवादी से पूछताछ कर तसल्ली की गई एवं दोनो उक्त गवाहान ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर अपने--अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद वक्त 7.10 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री शिवाराम को रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा जाने पर परिवादी श्री शिवाराम ने आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 50,000/--रू 500--500 रू. के कुल 100 नोट रूबरू गवाहान के प्रस्तुत किये। जिस पर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से मालखाना से फिनोफ्थलीन की शीशी मंगवाई जाकर उक्त रिश्वती राशि 50,000/-- रुपये श्री ताराचन्द्र हैड कानि. को सुपुर्द कर उक्त नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री सुनील भादू से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अतिरिक्त कोई आपत्तिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोट परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से रखवाये गये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये व आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ हाथ फेरकर या मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर गोपनीय इशारा करें। गवाहान व ट्रेप पार्टी को भी आरोपीगण व परिवादी के मध्य होने वाली बातचीत व लेन--देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टांन्त फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया को भली भांति समझाया गया। इसके बाद दृष्टांत के काम मे लिये गये ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। जिस पुराने अखबार पर राशि रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था उस अखबार को रूबरू गवाहान श्री ओमप्रकाश ताराचन्द्र हैड कानि. 112 से जलवाया जाकर नष्ट कराया गया। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस मे तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नही रहने दी गई। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री ताराचन्द हैड

कानि. 112 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना मे सुरक्षित रखवाई जाकर हैड कानि. को कार्यालय मे रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर वक्त 8.15 ए.एम.पर मन् श्रीमति अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री सुनील भादू, श्री नरेन्द्रसिह, परिवादी श्री शिवाराम ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि. 110 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 एवं सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8790 मय चालक श्री संजय कानि. 587 से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से ग्राम गंगावास तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर की तरफ रवाना होकर वक्त 9.50 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के ग्राम पंचायत गंगावास तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर से थोडा पहले पहुँच सरकारी वाहनों को गोपनीय रूप से बबूल की ओट में सडक किनारे खडे करवा कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामकिशोर कानि. नम्बर 110 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें मेमोरी कार्ड है सुपुर्द कर ग्राम पंचायत गंगावास के मुख्य द्वार के पास पहुंच कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री शिवाराम को सुपुर्द करने की हिदायत कर परिवादी के साथ पैदल ही ग्राम पंचायत गंगावास के लिये रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस शेष ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीय रूप से अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए ग्राम पंचायत गंगावास के लिये पैदल–पैदल रवाना होकर वक्त 10.00 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीय रूप से ग्राम पंचायत गंगावास के पास पहुंच अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात वक्त 10.09 ए.एम पर परिवादी श्री शिवाराम पुत्र श्री हरदानराम जाति जाट निवासी हापानाडा ग्राम पंचायत रोडवा कला कल्याणपुर जिला बाडमेर ने मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को पूर्व मे निर्धरित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नम्बर 8107253674 से मिस कॉल कर किया। जिस पर परिवादी के उक्त मिस कॉल के ईशारे पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत गंगावास आस–पास खडे ब्यूरो जाब्ता एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को ईशारे से बुलाकर हमराह लेकर ग्राम पंचायत गंगावास के कार्यालय भवन के ही कमरे मे प्रवेश किया तो उक्त कमरे के दरवाजे पर परिवादी श्री शिवाराम खडा मिला। जिस पर परिवादी को पूर्व मे दिया गया कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। आईन्दा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिट तैयार की जावेगी। उक्त कमरे के अन्दर एक अन्य व्यक्ति उपस्थित मिला। परिवादी ने रुबरु गवाहान व ब्यूरो जाब्ता के मन निरीक्षक पुलिस को उक्त व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री गजाराम आरआई हैं। जिन्होने अभी–अभी मेरे से 50,000/– रू0 रिश्वती राशि के प्राप्त किये है। जिस पर मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने अपना, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री गजाराम पुत्र श्री बुधरराम जाति जाट उम्र 42 साल पैशा नौकरी निवासी चुतरपुरा तहसील व पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर हाल– भू अभिलेख निरीक्षक मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर होना बताया। तत्पश्चात मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस ने श्री शिवाराम की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री गजाराम से पूछा गया कि आप इनको जानते हो। जिस पर आरोपी श्री गजाराम ने बताया कि हॉ मैं इनको जानता हूँ यह शिवाराम हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु गवाहान के आरोपी श्री गजाराम से पूछा गया कि अभी आपने श्री शिवाराम से किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त की हैं, जिस पर आरोपी श्री गजाराम ने रुबरु गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के कहा कि हॉ मैने श्री शिवाराम से 50,000/– रुपये अपने हाथ मे लेकर मेरी चारपाई पर तकिये के उपर रखे हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वती राशि जो चारपाई के उपर रखे तकिये के उपर 500–500 रुपये के नोटो का एक बण्डल रखा हुआ दिखाई दिया जिस पर उक्त नोटो के बण्डल को गवाह श्री सुनील भादू से उठवाये जाकर उनके पास सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया। आरोपी श्री गजाराम भू अभिलेख निरीक्षक ने यह भी बताया कि श्री शिवाराम का गांव हापानाडा ग्राम पंचायत रोडवा कला कल्याणपुर जिला बाडमेर मेरे हल्के मे ही आता हैं तथा मै यहा ग्राम पंचायत गंगावास मे अस्थाई रुप से निवासरत हुं। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक के दोनो हाथ कलाईयो के उपर से ब्यूरो जाब्ता से पकडवाये गये। तत्पश्चात मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री गजाराम भू अभिलेख निरीक्षक से पूछा गया कि आपने श्री शिवाराम से किस बात के पैसे लिये हैं तो आरोपी श्री गजाराम गिडगिडाते हुए बोला मुझे श्री शिवाराम ने कहा था कि कृषि भूमि के कनवरजन की फाईल लगाओ मेरे से चक्कर नही काटे जाते हैं। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री शिवाराम ने आरोपी श्री गजाराम के उक्त कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि मेरी पुस्तेनी जमीन हापानाडा कल्याणपुर बाडमेर में आई हुई है जो मेरे पिताजी हरदानराम के व अन्य पारिवारिक सदस्यों के नाम से संयुक्त खातेदारी हैं। जिसकी तरमीन 2021 में हमने प्रशासन गांवो के संग अभियान में करवाई थी। तत्कालीन पटवारी श्री गजाराम के द्वारा जो उस समय तरमीम की गई उसका नक्शा बनाया गया वो सही था और उस समय की गई तरमीम के कागजात में श्री गजाराम द्वारा अपने स्तर पर फेरबदल कर दिया गया तथा

तीन महीने तक पटवारी गजाराम ने कागजात को तहसील में जमा नही करवाये। क्योंकि तरमीन के नाम पर उस समय गजाराम ने 50,000/–रू. मांगे थे। उसके बाद गजाराम ने अपने आप ही तरमीन की गई भूमि के नक्शों में फेरबदल कर दिया जहां पर हमारा व हमारे परिवार का मकान बना हुआ हैं उसी स्थान पर श्री गजाराम ने सडक का कटान रास्ता बता दिया है। गजाराम के द्वारा तरमीम किये गये नक्शे में जो गलत कटान रास्ता बनाया था उसको सही करने की एवज मे आज मुझसे श्री गजाराम भू अभिलेख निरीक्षक ने 50,000/– रूपयें प्राप्त कर अपने हाथ मे लेकर चारपाई पर रखे तकिये के उपर रखे हैं। जिस पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री गजाराम को पुनः तसल्ली देकर उक्त रिश्वती राशि के बारे मे रुबरु गवाहान पूछा गया तो आरोपी श्री गजाराम भू अभिलेख निरीक्षक निरुत्तर हो गया। जिस पर मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही कार्यालय ग्राम पंचायत गंगावास भवन मे ही करने का निर्णय लिया जाकर हालात उच्च अधिकारियो को निवेदन किये गये। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता दोनो मौतबिरान, परिवादी एवं आरोपी के रुबरु अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सरकारी वाहन बोलेरो से ब्यूरो जाब्ता से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर आरोपी श्री गजाराम भू अभिलेख निरीक्षक के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में पंचायत भवन मे रखे पीने के पानी की मटकी मे से उक्त दोनो कांच की गिलासों में पानी भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने गिलासो के उक्त घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार घोल के एक गिलास मे आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमेला हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने मटमेला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया। ताबाद मन अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व मे तैयार सुदा फर्द पेशकशी रिश्वती राशि निकलवाकर गवाह श्री नरेन्द्रसिह को सुपुर्द कर गवाह श्री सुनील भादू के पास रखी रिश्वती राशि के नम्बर बोल–बोल कर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये। तत्पश्चात मन् अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक की रखी चारपाई के उपर रखे तकिये के कवर को उतरवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच की गिलास निकाल कर उक्त गिलास मे मटकी से पीने का साफ पानी भरवाया जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डाल कर चम्मच से हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन घोल मे तकिये के कवर को गिलास के उक्त घोल मे डूबोवाकर धुलवाया गया तो उक्त घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमेला हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग मटमेला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क टी.–1 व टी.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त तकिये की खोली को सुखाया जाकर तकिये की खोली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली मे डालकर थैली को शील्ड कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क–टी अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त बरामद सुदा रिश्वती राशि 500–500 रुपये के 100 नोट कुल राशि 50,000/– रू. रिश्वती राशि के नोटो कों बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री गजाराम भू अभिलेख निरीक्षक मण्डली, तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही प्रथक से तैयार कर विस्तृत विवरण अंकित किया जाकर शामिल रंनिग नोट करते हुए वक्त 12.00 ए.एम. तक मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री ओम अमृत तहसीलदार तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर से जरिये मोबाईल फोन वार्ता कर आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक का सेवा विवरण, परिवादी श्री शिवाराम के पिताजी के नाम की संयुक्त खातेदारी जमीन से सम्बधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त करने हेतु ग्राम रोडवा कला से सम्बधित पटवारी श्री धमेन्द्र को पाबन्द कर भिजवाने एवं आरोपी की आवाज की पहचान हेतु अधिनस्थ दो पटवारियो को वक्त 4.30 पीएम पर एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाकर वक्त 12.50 पी.एम तक श्री गजाराम पुत्र श्री बुधरराम उम्र 42 वर्ष निवासी चुतरपुरा तहसील शेरगढ़ जोधपुर हाल

भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर के कार्यालय कक्ष कम अस्थायी आवास की रुबरु मौतबिरान व आरोपी के खाना तलासी ली जाने पर संदिग्ध के कार्यालय कक्ष कम अस्थायी निवास मे सरकारी रिकॉर्ड, साधारण जीवन यापन की सामग्री, रसोई का सामान, कपडे इत्यादि के अलावा जोधपुरी कोट की जेब में अलग–अलग बण्डलों में 500–500 रुपये के कुल 280 नोट कुल राशि 1,40,000/– रुपये होना पाई गई तथा कार्यालय कक्ष कम अस्थायी आवास में एक चारपाई के बिस्तर के नीचे एक काले रंग का पर्स जिसमें 280 रूपये, श्री गजाराम का एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड नम्बर 4591150371211335, कार्यालय कक्ष कम अस्थायी आवास में जोधपुरी कोट में पाई गई राशि 1,40,000/– रूपये के सम्बध में आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक से पूछने पर बताया कि उक्त राशि मेरे द्वारा सरपंच प्रतिनिधि श्री माणकराम से मेरे बडे पिताजी के लडके की शादी होने के कारण दिनांक 06.06.2023 को 1,50,000/– रूपये उधार लिये गये थे। जिसमें से 10,000/– रूपये मेरे घरेलु कार्यो में खर्च हो गये एवं शेष बची राशि यह 1,40,000/– रूपये है। जिस पर श्री माणकराम सरपंच प्रतिनिधि को तलब कर रूबरू आरोपी एवं गवाहान के पूछने पर श्री माणकराम सरपंच प्रतिनिधि ने 1,00,000/– रूपये पॉच दिन पहले एवं 50,000/– रूपये कल दिनांक 06.06.2023 को श्री गजाराम को उधार देना बताया। आरोपी श्री गजाराम एवं श्री माणकराम सरपंच प्रतिनिधि द्वारा बताये गये तथ्यों में विरोधाभास होने से राशि 1,40,000/– रूपये को संदिग्ध मानते हुए कब्जा ए.सी.बी. ली गई। उक्त राशि के आलावा पर्स में पाई गई राशि 280/– रूपये आरोपी द्वारा हाथ खर्च का होना बताया जाने पर उक्त राशि 280/– रूपये, पर्स एवं ए.टी.एम. कार्ड आरोपी श्री गजाराम के कहे अनुसार श्री माणकराम को सुपर्द किये गये। उक्त के अलावा कोई संग्दिध राशि, सामग्री/दस्तावेज नहीं पाई और न ही कब्जा एसीबी ली गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार कर शामिल रनिग नोट की जाकर वक्त 1.40 पीएम तक मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान परिवादी श्री शिवाराम, दोनों गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया।

दिनांक 07.06.2023 को वक्त 1.50 पी.एम. तक आरोपी श्री गजाराम पुत्र श्री बुधरराम उम्र 42 वर्ष निवासी चुतरपुरा तहसील शेरगढ जोधपुर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर से की गई पूछताछ व हाथ धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी द्वारा परिवादी श्री शिवाराम के परिवार के सदस्यों की संयुक्त खातेदारी जमीन की पूर्व में की गई तरमीम को सही करने की एवज में 2,00,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग करना एवं परिवादी द्वारा मिन्नते करने पर 50,000/– प्रथम किस्त में प्राप्त करना एवं शेष राशि बाद में प्राप्त करने हेतु सहमत होकर वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री गजाराम भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा 50,000/– रूपये परिवादी से अपने हाथ में प्राप्त कर अपने अस्थायी कार्यालय कक्ष एवं निवास कक्ष में रखी चारपाई पर तकिये के उपर रखना, जो रिश्वति राशि कार्यालय कक्ष में रखी चारपाई पर तकिये के उपर से बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री गजाराम पुत्र श्री बुधरराम उम्र 42 वर्ष निवासी चुतरपुरा तहसील शेरगढ जोधपुर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया जाकर वक्त 2.05 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द सुदा श्रीमति मंजु कुमारी पत्नि श्री संदीप कुमार जाति जाट उम्र 34 साल निवासी वार्ड न. 04 ग्राम सरदारपुरा बास भोला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत गंगावास पंचायत समिति कल्याणपुर जिला बाडमेर के कार्यालय ग्राम पंचायत गंगावास पंचायत समिति कल्याणपुर जिला बाडमेर में उपस्थित आने पर कार्यालय ग्राम पंचायत गंगावास पुराना परिसर के कार्यालय कक्ष जिसे आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपने कार्यालय एवं आवास के रूप में उपयोग लिया जा रहा था उक्त कक्ष में मौजुद सामग्री एंव ग्राम पंचायत के राजस्व रिकार्ड से सम्बधित पत्रावलियां एवं रिकार्ड यथास्थिति सुपर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल रंनिग नोट की गई।

दिनांक 07.06.2023 को वक्त 2.15 पी.एम. पर आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक के हाथो व कार्यालय कक्ष एवं निवास कक्ष में रखी चारपाई पर तकिये के उपर जंहा से रिश्वति राशि बरामद हुई उस तकिये के कवर का लिया गया धोवन की शील्ड सुदा शिशियां, जब्त सुदा रिश्वति राशि आदि मुताबिक फर्दात, आरोपी के कार्यालय कक्ष कम अस्थायी आवास कक्ष से बरामद 1,40,000/– रूपये एवं ट्रेप बाक्स, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, कार्यवाही से सम्बधित पत्रावली तथा गिरफतार सुदा आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक के मन निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री शिवाराम, ब्यूरो जाब्ता को हमरा लेकर जरिये सरकारी वाहनों के ग्राम पंचायत गंगावास से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिए रवाना होकर वक्त 4.15 पी.एम. तक फिगरा उपरोक्त के रवाना सुदा कार्यालय पहुँच जब्त शुदा रिश्वती राशि, आरोपी श्री गजाराम के दोनों हाथों के धोवन के प्रादर्श आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, आरोपी श्री गजाराम के कार्यालय कक्ष एवं निवास कक्ष में रखी चारपाई पर तकिये के उपर जंहा से रिश्वति राशि बरामद हुई उस तकिये के कवर का लिया गया धोवन की शील्ड शीशीयां मार्क टी–1, टी–2 , तकिये के कवर का पैकेट मार्क–टी, आरोपी

श्री गजाराम भू-अभिलेख निरीक्षक के कब्जा से जब्त संदिग्ध राशि 1,40,000/- रुपये, आदि माफिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया।

दिनांक 07.06.2023 को वक्त 4.30 पी.एम. तक परिवादी श्री शिवाराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री सुनील भादू एवं श्री नरेन्द्रसिंह की उपस्थिति में परिवादी श्री शिवाराम एवं आरोपी गजाराम भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डली के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि की मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 06.06.2023 जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड करवाई गई थी। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमौरी के कार्यालय के कम्प्युटर से जोडकर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के कम्प्यूटर मे कॉपी कर एक सीडी तैयार कर उक्त सीडी को कार्यालय के कम्प्युटर मे डाल कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के कार्यालय के कम्पयुटर में इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार करना शुरु की गई। वक्त 5.00 पी एम पर श्री संजय कानि. 587 , श्री अमरसिंह कानि. 415 मय जरिये सरकारी वाहन टवेरा संख्या आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री लालाराम के आरोपी श्री गजाराम पुत्र श्री बुधरराम उम्र 42 वर्ष निवासी चुतरपुरा तहसील शेरगढ जोधपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर का राजकीय चिकित्सालय कुडी भगतासनी से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्रात कर आरोपी श्री गजाराम भू-अभिलेख निरीक्षक को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर में सुपर्द करने हेतु रवाना किया गया।

दिनांक 07.06.2023 को वक्त 5.30 पी.एम. तक परिवादी श्री शिवाराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री सुनील भादू एवं श्री नरेन्द्रसिंह की उपस्थिति में परिवादी श्री शिवाराम एवं आरोपी गजाराम भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डली के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि की मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 06.06.2023 जिसकी सीडी पूर्व में तैयार की गई थी उक्त सीडी को कार्यालय के कम्प्युटर मे डाल कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के कम्पयुटर के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर वक्त 5.40 पी.एम. पर परिवादी श्री शिवाराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री सुनील भादू एवं श्री नरेन्द्रसिंह की उपस्थिति में परिवादी श्री शिवाराम एवं आरोपी गजाराम भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डली के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप दिनांक 07.06.2023 जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाई गई थी। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोडकर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के कम्प्यूटर मे कॉपी कर दो सीडीया तैयार कर एक सीडी को कार्यालय के कम्प्युटर मे डाल कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के कार्यालय के कम्पयुटर में इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार करना शुरु की जाकर वक्त 6.20 पी.एम. तक परिवादी श्री शिवाराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री सुनील भादू एवं श्री नरेन्द्रसिंह की उपस्थिति में परिवादी श्री शिवाराम एवं आरोपी गजाराम भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डली के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप दिनांक 07.06.2023 जिसकी सीडी पूर्व में तैयार की गई थी उक्त सीडी को कार्यालय के कम्प्युटर मे डाल कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के कम्पयुटर के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये।

दिनाक 06.06.2023 की रिश्वती राशि वक्त सत्यापन की एक सीडी पूर्व में तैयार की गई थी उक्त सीडी को डब सीडी मानते हुए खुला ही रहने दिया गया एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक कपडे की थैली मे डालकर सिलाई कर, सील चस्पा कर थैली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये दिनांक 07.06.2023 को परिवादी श्री शिवाराम एवं आरोपी श्री गजाराम भू-अभिलेख निरीक्षक के मध्य वक्त लेन-देन हुई रूबरू वार्ता की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से पूर्व में रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्ता की दो सीडीयां तैयार की गई थी। एक सीडी को मूल मानते हुए सीडी पर प्रकरण का विवरण अंकित कर कपड़े की थैली में डालकर सिलाई कर सील चस्पा कर थैली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये दुसरी सीडी को डब सीडी मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। एक शील्ड सुदा मूल सीडी का पैकेट, एक मूल मैमोरी कार्ड का शील्ड सुदा पैकेट एवं दो खुली डब सीडीयो को कार्यालय हाजा के हैड कानि. श्री ताराचन्द मु.आ 112 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया।

दिनांक 07.06.2023 को वक्त 7.15 पी.एम. पर श्री संजय कानि. 587 , श्री अमरसिंह कानि. 415 मय जरिये सरकारी वाहन टवेरा संख्या आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री लालाराम के आरोपी श्री गजाराम पुत्र श्री बुधरराम उम्र 42 वर्ष निवासी चुतरपुरा तहसील शेरगढ जोधपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डली तहसील

कल्याणपुर जिला बाडमेर का जिला अस्पताल पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्रात कर आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर में सुपर्द कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। वक्त 7.45 पी एम पर पूर्व से तहसीलदार कल्याणपुर जिला बाडमेर द्वारा पाबन्द शुदा दो व्यक्ति उपस्थित आये जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उनका बारी–बारी से परिचय पुछने पर श्री जिताराम पुत्र श्री खींयाराम जाति जाट उम्र 59 साल पेशा नौकी निवासी ग्वालनाडा तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर हाल पटवारी पटवार मण्डल डोली तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर मोबाईल नं. 9571344062 एवं श्री धमेन्द्र गोदारा पुत्र श्री लुम्बाराम जाति जाट निवासी बलाणिया, बलाउ जाटी तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर हाल पटवारी पटवार मण्डल गंगावास अतिरिक्त कार्यभार थुंबली तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर मोबाईल नं. 9461025996 के रूप में दिया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर मौखिक सहमति प्राप्त की जाकर वक्त 9.00 पी एम तक आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक की रिकार्ड की गई वार्ता की पहचान करने हेतु आरोपी के विभाग के तलब शुदा श्री जिताराम एवं श्री धमेन्द्र गोदारा हाजिर है। उक्त आवाज पहचानकर्ता एवं स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील भादू व श्री नरेन्द्रसिंह के रूबरू मन् निरीक्षक पुलिस ने आपने पास रखी आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक एवं परिवादी श्री शिवाराम के मध्य हुई दिनांक 06.06.2023 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं दिनांक 07.07.2023 को वक्त लेन–देन वार्ताओं की सीडी तैयार की गई थी उक्त सीडी को कार्यालय के कम्प्युटर में डालकर चलाया जाकर आरोपी के अधिनस्थ पदस्थापित विभाग के उपस्थित उक्त पहचानकर्ताओ को रिकार्ड वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये जाकर अलग से फर्द आवाज पहचान तैयार कर शामिल रंनिग नोट की गई एवं पटवारी श्री धमेन्द्र गोदारा द्वारा परिवादी के पिताजी के संयुक्त खातेदारी भूमि से सम्बधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां पेश की जो बाद अवलोकन शामिल रंनिग नोट करते हुए श्री जिताराम एवं श्री धमेन्द्र गोदारा एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को बाद कार्यवाही के इजाजत वापसी दी गई।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री गजाराम पुत्र श्री बुधरराम उम्र 42 वर्ष निवासी चुतरपुरा तहसील शेरगढ जोधपुर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर द्वारा परिवादी श्री शिवाराम से आरोपी द्वारा स्वंय के स्तर पर की गई तरमीम को पुनः सही करने की एवज में की एवज में 2,00,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग करने, परिवादी द्वारा मिन्नते करने पर 50,000/– रूपये पहली किश्त में देना एवं शेष राशि बाद में देना सहमत होकर वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डली द्वारा मांग के अनुशरण में परिवादी से 50,000/– रूपये रिश्वति राशि प्राप्त कर अपने हाथ से चारपाई पर तकिये के उपर रखे। जहां से रूबरू गवाहान के रिश्वति राशि 50,000/– रूपये आरोपी श्री गजाराम भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डली के अस्थायी कार्यालय कक्ष ग्राम पंचायत गंगावास पंचायत समिति कल्याणपुर में रखी चारपाई पर तकिये के उपर से बरामद होना पाया गया है।

आरोपी श्री गजाराम पुत्र श्री बुधरराम उम्र 42 वर्ष निवासी चुतरपुरा तहसील शेरगढ जोधपुर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर के दाहिने हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में गुलाबी रंग, आरोपी के बॉये हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में मटमैला आना, 50,000/– रूपये रिश्वति राशि आरोपी श्री गजाराम के कार्यालय कक्ष कम अस्थायी आवास ग्राम पंचायत गंगावास पंचायत समिति कल्याणपुर में रखी चारपाई पर तकिये के उपर रखे हुए जहां से रिश्वति राशि बरामद होना उक्त तकिये के कवर का लिया गया धोवन मटमैला पाया गया। इस तरह आरोपी श्री गजाराम पुत्र श्री बुधरराम उम्र 42 वर्ष निवासी चुतरपुरा तहसील शेरगढ जोधपुर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते कमांकन जरिये ई–मेल प्रेषित की जा रही है।

(अतुल चौधरी)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अनु चौधरी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गजाराम पुत्र श्री बुधरराम, हाल भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डली, तहसील कल्याणपुर, जिला बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 144/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1085-88 दिनांक 08.06.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम संख्या-1, जोधपुर।
2. जिला कलक्टर (भू-अभिलेख) बाड़मेर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।

8.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।